न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/2019/101

1. लालाराम पुत्र स्व0 नारायण जाति जाट आयु 56 वर्ष निवासी ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. सुनील पुत्र स्व0 सीताराम उम्र 9 वर्ष
2. कुमारी सोनू पुत्री स्व0 सीताराम उम्र 11 वर्ष
3. कुमारी संगीता पुत्री स्व0 श्री सीताराम उम्र 7 वर्ष
   नाबालिगान् जरिये प्रा0सं0 एवं माता श्रीमती लाली देवी पत्नि स्व0 श्री सीताराम
4. श्रीमती लाली देवी पत्नि स्व0 श्री सीताराम
5. श्रीमती फूला देवी पत्नि स्व0 श्री छोटू
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्रांम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. श्रीमती लाली पत्नि श्री मदनलाल पुत्री स्व0 श्री बोदू जाति जाट, निवासी ग्रांम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. श्रीमती नाना पत्नि पॉचूराम पुत्री स्व0 श्री बोदू जाति जाट निवासी ग्रांम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक प्रथम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय

वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक: 06.01.2022

वादी की ओर से दावा इस [illegible] गया कि भूमि गत खसरा नंबर 457 रकबा 1 बीघा [illegible] बिस्वा [illegible] रकबा 43 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 45 बीघा [illegible] बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 418 रकबा 0.29 है0, खसरा नंबर 419 रकबा 0.15 है0, 425/2685 रकबा 0.47 है0, 426 रकबा 0.28 है0, 427 रकबा 2.93 है0, 432 रकबा 2.70

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:17:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

है0, 433 रकबा 2.41 है0, 434 रकबा 0.70 है0, 435/2686 रकबा 0.37 है0,-449 रकबा 1.15 है0 कुल खसरा 10 कुल रकबा 11.45 है0 वाकै ग्रांम नेवटा पटवार क्षेत्र नेवटा, भू0अ0नि0 क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा तथा 2/3 हिस्सा वादी के भाई छीतर व मंगला का संयुक्त अविभाजित है तथा उसी हिस्सेनुसार वादी काबिज होकर बिना किसी बाधा व रूकावट के निरन्तर उपयोग उपभोग कर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के पति का स्वर्गवास पूर्व में हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 5 के पति व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के पिता बोदू का स्वर्गवास 7-8 माह पूर्व हो गया, जिससे उसके स्वर्गवास के पश्चात तथा भूमि की बढती कीमतों के कारण प्रतिवादीगण की नियत में बेईमानी व फितूर आया हुआ है। तथा आपस में मिलीभगत व नाजायज़ सांठगांठ कर रखी है, जिससे वे वादग्रस्त आराजीयता में वादी के 1/3 हिस्से की भूमि को हडपने की नियत से उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का गलत नाम बोदू अंकित होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि से वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा करने व उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करवाकर अन्य व्यक्तियों को विक्रय हस्तान्तरण आदि करने पर आमादा हो रहे है, जिससे की प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई कूननी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी नियत से दिनांक 21.12.2012 को प्रतिवादीगण एकराय होकर अपने साथ 8-10 अन्य व्यक्तियों को लेकर वादग्रस्त भूमि पर आये तथा उक्त भूमि को विकय, हस्तान्तरण करने की बातचीत करने लगे, जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त अवैध व गैर कानूनी कृत्य करने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने वादी से कहा कि उक्त भूमि हमारे पिता/पति के नाम से है, जिसे हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि उक्त भूमि मेरी है, उक्त भूमि से आपका किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है, जिससे प्रतिवादीगण वादी से नाराज हो गये तथा वादी के साथ गाली गलौच की, जिसका वादी ने विरोध किया तो प्रतिवादीगण वादी को जबरन उक्त भूमि से बेदखल करने व वादी के साथ लडाई झगडा व मारपीट करने पर आमादा हो गए, जिससे हल्ला सुनकर आसपास के व्यक्ति [illegible] व्यक्तियों की मौके पर [illegible] प्रतिवादीगण व काफी संख्या में भीड इकट्ठी हो गई, जिससे उ[illegible] जाते समय वादी उनके साथ आये अन्य व्यक्ति मौके [illegible] से चले गए [illegible] वादग्रस्त आराजी के को ऐलानिया धमकी दी कि वे शीघ्र ही मौका प्राप्त [illegible] अन्य व्यक्ति संस्था आदि राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करवाकर उक्त भूमि को अन्य व्यक्ति संस्था आदि

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:17:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

को विक्रय कर उक्त भूमि से वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा करके रहेगें, जिसका की प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वाद में विवादमूल दिनांक 21.02.2012 को प्रतिवादीगण द्वारा अवैध व गैर कानूनी कृत्य करने तथा दिनांक 02.04.2012 को प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से इन्कार करने पर उत्पन्न होकर निरन्तर उत्पन्न होने पर वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जाकर उक्त भूमि के 1/3 हिस्से में बोदू के स्थान पर वादी का नाम लालाराम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे। वादी का वाद बहक प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करे करावे तथा उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति संस्था इत्यादि को विक्रय हस्तान्तरित, रहन, बय, बख्शीश आदि नही करें करावें तथा वादी को उक्त भूमि के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग व काश्त करने में किसी प्रकार की बोई बाधा व रूकावट उत्पन्न नही करें करावे तथा उक्त भूमि से वादी को जबरने बेदखल कर कब्जा नहीं करे करावे तथा प्रतिवादी संख्या 8 उक्त भूमि के स्वामित्व हस्तान्तकरण का कोई दस्तावेजात वादी के नाम के अलावा अन्य व्यक्ति संस्था के हक में पंजीकृत नहीं करे करावे तथा प्रतिवादी संख्या 9 उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम के अलावा अन्य व्यक्ति संस्था का नाम अंकित नही करें करावे तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल व हाल जमाबंदी पेश की जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टकर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। विचाराधीन वाद में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित है कि भूमि खसरा नंबर 457 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 471 रकबा 43 बीघा 9 बिस्वा [illegible] खसरा नंबर 418 कुल किता 2 कुल रंकबा 45 बीघा 8 बिस्वा [illegible] नंबर रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 419 रकबा 0.1[illegible] हैक्टेयर, खसरा [illegible] रकबा 0.28 हैक्टेयर, 425/2685 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4[illegible] रकबा 2.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 427 रकबा 2.93 हैक्टेयर, खसरा नंबर 432

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:17:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

खसरा नंबर 433 रकबा 2.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 434 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 435/2686 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नंबर 449 रकबा 1.15 हैक्टेयर कुल खसरा नंबर 10 कुल रकबा 11.45 हैक्टेयर वाके ग्राम नेवटा पटवार क्षेत्र नेवटा भू0अ0नि0 क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा तथा 2/3 हिस्सा वादी के भाई छीतर व मंगला का संयुक्त अभिभाजित है तथा उसी हिस्से अनुसार वादी काबिज होकर बिना किसी बाधा व रूकावट के निरन्तर उपयोग उपभोग कर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दौराने सैटलमेन्ट भू-प्रबंध विभाग के कर्मचारियो व अधिकारियों ने गलती से वादी लालाराम के नाम के स्थान पर गलत रूप से बोदू पुत्र नारायण अंकित कर दिया, जबकि बोदू नारायण का पुत्र नहीं है, बल्कि गंगाराम का पुत्र है तथा लालाराम ही नारायण का पुत्र है तथा नारायण के वादी लालाराम के अलावा दो अन्य पुत्र छीतर व मंगला है तथा छीतर व मंगला का राजस्व रिकॉर्ड में 2/3 हिस्सा अंकित है, इस प्रकार उक्त भूमि में लालाराम, छीतर व मंगला का 1/3-1/3 हिस्सा संयुक्त अविभाजित है तथा उक्त तीनो काश्त कर उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पूर्वज बोदू का स्वर्गवास दिनांक 11.06.2011 को हो गया, जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के दादा तथा प्रतिवादी संख्या 4 के ससुर थे तथा बोदू के पुत्र तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के पति सीताराम का स्वर्गवास दिनांक 06.05.2009 को हो गया है। नारायण एवं वादी लालाराम की उक्त भूमि से बोदू व अन्य किसी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा कोई हक अधिकार व कोई कब्जा आदि भी नहीं है, बल्कि उक्त भूमि पर वादी लालाराम व उसके भाई छीतर व मंगला का ही संयुक्त अविभाजित कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिससे उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जाकर उक्त भूमि के 1/3 हिस्से में बोदू के स्थान पर वादी लालाराम का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किये जाने बाबत् वादी लालाराम का वाद डिक्री किये जाने में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई उज्र व आपत्ति नहीं है तथा इस बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की अनुमति व सहमति है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त राजीनामा को स्वीकार फरमाया जाकर राजीनामा तस्दीक किया जाकर राजीनामा के अनुसार वादी का वाद डिक्री करने की कृपा करें। प्रस्तुत वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:17:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा 20.09.2019 को स्वीकार किया गया।

तत्पश्चात विचाराधीन वाद में वादी व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 की ओर से न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसमें अंकित है कि भूमि खसरा नंबर 457 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 471 रकबा 43 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 45 बीघा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 418 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 419 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 425/2685 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 426 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 427 रकबा 2.93 हैक्टेयर, खसरा नंबर 432 रकबा 2.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 433 रकबा 2.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 434 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 435/2686 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नंबर 449 रकबा 1.15 हैक्टेयर कुल खसरा नंबर 10 कुल रकबा 11.45 हैक्टेयर वाकै ग्राम नेवटा पटवार क्षेत्र नेवटा भू0अ0नि0 क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा तथा 2/3 हिस्सा वादी के भाई छीतर व मंगला का संयुक्त अभिभाजित है तथा उसी हिस्से अनुसार वादी काबिज होकर बिना किसी बाधा व रूकावट के निरन्तर उपयोग उपभोग कर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दौराने सैटलमेन्ट भू-प्रबंध विभाग के कर्मचारियो व अधिकारियों ने गलती से वादी लालाराम के नाम के स्थान पर गलत रूप से बोदू पुत्र नारायण अंकित कर दिया, जबकि बोदू नारायण का पुत्र नहीं है, बल्कि गंगाराम का पुत्र है तथा लालाराम ही नारायण का पुत्र है तथा नारायण के वादी लालाराम के अलावा दो अन्य पुत्र छीतर व मंगला है तथा छीतर व मंगला का राजस्व रिकॉर्ड में 2/3 हिस्सा अंकित है, इस प्रकार उक्त भूमि में लालाराम, छीतर व मंगला का 1/3-1/3 हिस्सा संयुक्त अविभाजित है तथा उक्त तीनो काश्त कर उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पूर्वज बोदू का स्वर्गवास दिनांक 11.06.2011 को हो गया, जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के दादा तथा प्रतिवादी संख्या 4 के ससुर थे तथा बोदू के पुत्र तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के पति सीताराम का स्वर्गवास दिनांक 06.05.2009 को हो गया हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ता [illegible] दिनांक 22.08.2019 को उक्त प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत कर दिया है, जिस बाबत् प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 को कोई [illegible] नारायण एवं वादी लालाराम की उक्त भूमि से बोदू तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व अन्य किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:17:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

का कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा कोई हक व अधिकार व कोई कब्जा आदि भी नहीं है, बल्कि उक्त भूमि पर वादी लालाराम व उसके भाई छीतर व मंगला का ही संयुक्त अविभाजित कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिससे उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जाकर उक्त भूमि के 1/3 हिस्से में बोदू के स्थान पर वादी लालाराम का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किये जाने बाबत् वादी लालाराम का वाद डिक्री किये जाने में प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 को कोई उज्र व आपत्ति नहीं है तथा इस बाबत् प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 की अनुमति व सहमति है। अतः राजीनामा प्रस्तुत-कर निवेदन है कि उक्त राजीनामा को स्वीकार फरमाया जाकर राजीनामा तस्दीक किया जाकर राजीनामा अनुसार वादी का वाद डिक्री करने की कृपा करें। वादी की पहचान वकील वादी व प्रतिवादीगण की पहचान वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई।

प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी व प्रतिवादी ने डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय राजीनामा अवलोकन किया गया।.

वकील वादी द्वारा दस्तावेजात सूची के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात कार्यालय ग्राम पंचायत नेवटा द्वारा अपने क्रमांक 504 दिनांक 08.12.2021 को जारी सजरा/वारिस प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि लालाराम स्व0 श्री नारायण का पुत्र है जबकि स्व बोदू का स्व0 नारायण से कोई संबंध सरोकार नही है। और वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जो बोदू के वारिस है उन्होने भी अपने राजीनामा में स्वीकार किया है कि बोदू व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का स्व0 नारायण से कोई संबंध सरोकार नही है और लालाराम ही स्व0 नारायण का पुत्र है। तथा वादग्रस्त आराजीयात में स्व0 नारायण के नाम भूमि में 1/3 हिस्सा जो स्व0 बोदू के नाम लगा तथा बोदू की मृत्यु के बाद बोदू के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम हुआ उनको हटाकर स्व0 नारायण का 1/3 हिस्से में लालाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

ऐसे में वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 26.11.2021 को स्वीकार किया जाता है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत [illegible] न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2019 को स्वीकार किया जा चुका है। [illegible] 7 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक अतः वादी व प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] भूमि खसरा नंबर 20.09.2019 व 26.11.2021 के अनुसार वादग्रस्त आराजी [illegible] बीघा 9 बिस्वा 457 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 471 रकबा 43

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:17:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

कुल किता 2 कुल रकबा 45 बीघा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 418 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 419 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 425/2685 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 426 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 427 रकबा 2.93 हैक्टेयर, खसरा नंबर 432 रकबा 2.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 433 रकबा 2.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 434 रकबा 0.70 हैक्टेयर; खसरा नंबर 435/2686 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नंबर 449 रकबा 1.15 हैक्टेयर कुल खसरा नंबर 10 कुल रकबा 11.45 हैक्टेयर वाकै ग्राम नेवटा पटवार क्षेत्र नेवटा भू0अ0नि0 क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार बोदू के स्थान पर वादी लालाराम पुत्र स्व0 नारायण को घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 20.09.2019 व 26.11.2021 इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:17:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व इजलास श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

लालाराम बनाम सुनील वगै.

वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/2019/101

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 20.09.2019 व 26.11.2021 के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात भूमि खसरा नंबर 457 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 471 रकबा 43 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 45 बीघा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 418 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 419 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 425/2685 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 426 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 427 रकबा 2.93 हैक्टेयर, खसरा नंबर 432 रकबा 2.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 433 रकबा 2.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 434 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 435/2686 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नंबर 449 रकबा 1.15 हैक्टेयर कुल खसरा नंबर 10 कुल रकबा 11.45 हैक्टेयर वाकै ग्राम नेवटा पटवार क्षेत्र नेवटा भू0अ0नि0 क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार बोदू के स्थान पर वादी लालाराम पुत्र स्व0 नारायण को घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 20.09.2019 व 26.11.2021 इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ________ मुबलिग ________ बाबत् ________ ________ फीसदी ____ खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ________ का सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ________ अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.01.2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत – सहायक कलक्टर

ओहदा – जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	-	00	स्टाम्प अर्जी [illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना [illegible]		
महन्ताना वकील			खर्चा गवा[illegible]		
खर्चा गवाहान			[illegible]		
फीस कमिश्नर			बाबत [illegible]		
बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			[illegible] मुतफरिक		
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:17:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner